



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

संख्या... 707/मास्टरप्लान जोन-6/21

दिनांक... 27/10/21

सेवा में,

मै. ऋषभ बिल्डवैल प्रा.लि.

द्वारा श्री सुनील जैन

196, राम विहार

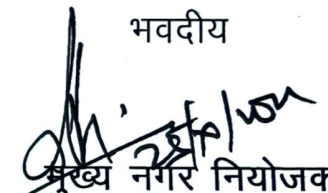
दिल्ली।

विषय:—खसरा सं.—536, 540/1, 540/2 व 543 ग्राम मोहिउद्दीन पुर कनावनी, गाजियाबाद पर स्वीकृत मानचित्र सं.—566/जी.एच./जोन-6/15-16 दिनांक 07.04.2016 की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.03.2021 व 18.05.2021 के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 13.09.2021 के द्वारा उक्त मानचित्र की वैधता अवधि आगामी तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 06.04.21 से 05.04.24 तक समय वृद्धि प्रदान कर दी गयी है। मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित प्रतिबन्ध एवं अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। उक्त मानचित्र/वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सापेक्ष लेबर सेस की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय


मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन :

प्रतिलिपि —

दिनांक :

1. प्रभारी प्रवर्तन जोन-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य नगर नियोजक



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 201/

/566/जोन-6/जी.एच./2015-16

दिनांक 18/6/2016

सेवा में,

मैसर्स रिषभ विल्डवेल प्रा0लि0

द्वारा श्री सुनील जैन

निवासी- 196, राम विहार,

दिल्ली।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा खसरा संख्या-536, 540/1, 540/2, एवं 543, ग्राम-मोहिददीनपुर, कनावनी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं0 566/जोन 6/जी0एच0/15 16 दिनांक 30.11.2015 की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 07.04.2016 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक 7.04.16 से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वागित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उरी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में किसी कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किस स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर को निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा।
10. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. प्रस्तुत समस्त शपथ पत्रों का पालन करना होगा।
14. भवन की कुल निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि की यदि अवशेष धनराशि हो तो, लेबर सैस की मद में यू.पी.बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सा. वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड गाजियाबाद में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
15. प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रुपये 2,00,000/- की जमानत राशि कार्पोरेशन बैंक की एफ0डी0आर0 नं0- KCC/01/160966036551 प्रस्तुत की गयी है, जो कि भवन सम्पूति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।

17. योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मैसर्स रिषभ बिल्डवैल प्रा० लि० का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधनित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्ध निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
 18. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद, पूर्व में विद्यमान सड़क को समाप्त करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। किसी भी न्यायालय में विचाराधीन वाद से प्रभावित खसरा नम्बरों की भूमि यथावत रखी जायेगी जिस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
 19. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटि को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, बाह्य विकास/आन्तरिक विकास का पूर्णता प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
 20. विद्युत विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र पत्रांक 2358/वि०न०वि०ख०-अष्टम/गा०बाद दिनांक 20.02.16 का अनुपालन करना होगा।
 21. अभियन्त्रण खण्ड के अनापत्ति प्रमाण-पत्र पत्रांक 480/4/ई.ई. जोन-4/2015 दिनांक 08.12.15 का अनुपालन करना होगा।
 22. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल खारिज बकाया है तो उसे विकासकर्ता कंपनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा।
 23. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 24. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी स्ट्रक्चरल इंजीनियर श्रीमति अभा गुप्ता का प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राईंग आई.आई.टी, दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री आलोक मदान से दिनांक 15.04.16 को वैट कराकर प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। डी.पी.आर./योजना के पुनरीक्षित तलपट मानचित्रा में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शा.सं. 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दि. 20.07.01 में अंकित प्राविधनों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
- क-भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- ख-भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रेट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- ग-निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा।



इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:-

1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधन सम्बन्धी संस्तुतियों।

3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईंग जिनमें सैक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

5 भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।

6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर

7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

25. भवन निर्माण के समय सुरक्षा मागको का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

26. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अगापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

27. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/निर्माण शमनीय नहीं होगा।

28. पार्किंग का निर्माण मानचित्र में दर्शित ग्रीड के अनुरूप करना होगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के समय पार्किंग प्लान ग्रीड सहित प्रस्तुत करना होगा।

29. प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार पार्किंग प्लान में दर्शित विजिटर्स पार्किंग को आवंटियों को नहीं दिया जायेगा अपितु यथावत रखना होगा तथा स्थल पर साईन बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।

30. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।

31. अग्निरोधी होने सम्बन्धी अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या 72/जे0डी0/जीबीएन-14 (गा0बाद)/71 दिनांक 26.04.16 की ड्राईंग एवं समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

32. ड्राईन-वे की डिजाइन व एक्जिक्यूशन अग्निशमन विभाग के वाहनो के भार वहन क्षमता एवं आवागमन के दृष्टिगत कराया जाना अनिवार्य होगा।

33. आर.डब्ल्यू.ए. व बिल्डर्स के मध्य आपसी वाद/विवाद की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

34. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।

35. रागरा अवस्थापना सुविधाओं के अगिकल्पन व विकास का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुविधाओं का विकास/निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. यू.पी.पी.सी.एल., भवन उपविधि-2008, एन.बी. सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/निर्माण कार्य एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।

36. लिफ्ट के संचालन हेतु कॉरपस फण्ड का प्राविधन करना होगा।

37. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्रविधान करना होगा।
38. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना सुनिश्चित होगा।
39. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।
40. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जायें, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जायें एवं डस्ट सस्पेंशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जायें।
41. बसैमेन्ट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
42. प्रस्तावित ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के भवन निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश संख्या 5899/8-3-09-214 विविध/09 दिनांक 14.01.2010 के अनुसार रखनी होंगी तथा शासनादेश संख्या 3338/आठ-1-11-80विविध/2010 दिनांक 26.09.2011 का अनुपालन करना होगा।
43. प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा निर्धारित लागत पर एवं निर्धारित मानकों के अनुसार विकसित/निर्मित कर उपलब्ध कराये जाएंगे। इन भवनों का आवंटन उक्त आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा। यदि कोई आवंटन किया गया है तो उसे निरस्त करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवंटन करना होगा।
44. शासनादेश सं0 3188/आठ 1 13 80विविध/2010 दिनांक 05.12.13 के अनुसार ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों के तल क्षेत्रफल के समतुल्य इन्सैन्टिव के रूप में अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की शर्त के अधीन ही अनुमत्य है तथा शासनादेश के अनुसार ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों के सापेक्ष परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में मानचित्र में नारंगी रंग से प्रदर्शित भूमि/प्लॉट को बंधक रखा गया है। बंधक डीड में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
45. दोनों भूखण्ड एक दूसरे के अभिन्न हिस्सा होंगे, जिनको अलग-2 विक्रय आदि नहीं किया जायेगा तथा अपर्मेन्ट एक्ट 2010 के अन्तर्गत दोनों परिसर आर0डब्लू0ए0 आदि को हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। अलग विक्रय किये जाने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व विकासकर्ता को प्राईमरी स्कूल एवं सुविधाजनक दुकानें हेतु प्रस्तावित भूखण्ड पर वर्तमान में निर्मित निर्माण को ध्वस्त कर, प्रस्तावित निर्माण पूर्ण करना होगा तथा दोनों भूखण्डों के मध्य सीधें संयोजन हेतु सड़क की व्यवस्था करनी होगी।
46. मास्टर प्लान रोड़ के मध्य में 15 मी0 छोड़ने के उपरान्त बाउन्ड्रीवाल कर निर्माण किया जायेगा।
47. मानचित्र में दर्शित फ्यूचर एक्सटेंशन का स्वागित्य विकाराकर्ता का नहीं है। इनका स्वामित्व प्राप्त होने पर ही फ्यूचर एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर विचार किया सकेगा।
48. प्रदूषण अनुभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
49. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
50. सर्वेसेज, रेनवाटर हावरेस्टिंग सम्बन्धी प्लान प्रस्तुत करने पर मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जायेगी।
51. एस.टी.पी. का निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रदूषण अनुभाग की अनापत्ति पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
52. पार्किंग हेतु प्रस्तावित मैकेनिकल पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तुत डिजाइन एवं ड्राईंग के अनुसार स्थल पर सुनिश्चित करनी होगी।
53. स्वीकृत अवधि में शारान द्वारा निर्गत शारानादेश के समस्त प्राविधानों का पालन करना होगा।
54. भूखण्डों की फेसिंग सड़क की चौड़ाई के सापेक्ष ही क्रय योग्य एफ.ए.आर. का प्रतिशत अनुमत्य होगा।
55. 20 मी0 से अधिक ऊँचाई पर निर्माण करने से पूर्व एयर पोर्ट अथोरिटी/हिण्डन एयर बेस से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

56. गणना में त्रुटि एवं इसके कारण देय शुल्कों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका भुगतान पक्ष को करना होगा।

उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक:- मानचित्र का सैट।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पृष्ठांकन :/566/जोन-6/जी.एच./2015-16

दिनांक

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण